IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समाजशास्त्र की दृष्टि से बदलते समाज के परिदृश्य में परलैंगिक समुदाय की सामाजिक स्थिति एवं उनके अधिकारों का विश्लेषण

प्रो0 मंजू सिंह
शोध निर्देशिका, प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
वनस्थली विद्यापीठ
टोंक, राजस्थान, भारत

असिस्टेंट प्रो0 राजश्री मठपाल
सह–निर्देशिका, असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
वनस्थली विद्यापीठ
टोंक, राजस्थान, भारत

प्रियंका वर्मा
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
वनस्थली विद्यापीठ
टोंक, राजस्थान, भारत

''समाज में रहते हुये भी समाज से अलग रहते है।
इतनी मुसीबतों में रहकर भी सदा हंसते रहते है।
नाचते है, गाते है और दुआयें सभी को देते है।
गर्व है हमें कि किन्नर हमारे समाज में रहते हैं।''

–शांक्की शर्मा

शोधसार– भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करता है। जहां अनेको धर्म, जातियां एवं भाषाओं के लोग मानवता का परिचय देते है, परन्तु जब बात परलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों की आती है तब इंसान मानवता की सारी हदों को पार कर जाते है तथा परलैंगिक समुदाय को अपने समाज का हिस्सा मानने से अस्वीकार कर देते है। उन्हें एक इंसान ही नहीं समझा जाता है। भारत में परलैंगिक समुदाय को बुरी सामाजिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। परलैंगिक समुदाय की सामाजिक स्थिति को सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये गये, जिसमें ट्रांसजेण्डर अधिकार संरक्षण बिल 2019 के आने के बाद परलैंगिक समुदाय का सामाजिक उत्थान हुआ है। पहले की तुलना में समाज में समुदाय के प्रति भेदभाव में गिरावट आयी है। उन्हें एक सामान्य व्यक्ति के नजरिये से देखा जाने लगा है। ट्रांसजेण्डर संघों द्वारा आवाज उठाये जाने के कारण कुछ सरकारी योजनायें चलायी गयी, जिनमें पहचान सम्बन्धित दस्तावेज, जीवनयापन भत्ता एवं सुरक्षा जैसी दैनिक जरूरते पूरी होनी शुरू हुयी है। भारतीय समाज में हुये बदलावों के कारण आज परलैंगिक समुदाय के समाज को भेदभाव, हिंसा का कम सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी समुदाय अपनी सामाजिक स्थिति एवं अधिकारों के लिये संघर्षरत है।

मूलशब्द– परलैंगिक व्यक्ति, समाज, सामाजिक स्थिति, सरकारी योजनाएं।

प्रस्तावना– समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें लिंग, वर्ग, जाति एवं अन्य सामाजिक संरचनाओं का गहन विश्लेषण शामिल है। परलैंगिक जो कि पारम्परिक लिंग पहचान से भिन्न होता है। परलैंगिक शब्द उन व्यक्तियों के लिये उपयोग में लिया जाता है, जिनकी लिंग पहचान उस लिंग से मेल नहीं खाती जो जन्म के समय निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति जो स्वयं को न तो पूरी तरह पुरूष न ही महिला के रूप में पहचानते है। वे भी इसी श्रेणी में आते है। समाजशास्त्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन गया है। परलैंगिक व्यक्तियों को हमारे समाज में विभिन्न चुनौतियों एवं पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। परलैंगिक समुदाय का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि हम यह जान सके कि किस प्रकार लिंग की पारम्परिक धारणाएं समाज में सत्ता, अधिकार एवं असमानता को आकार देती है। समुदाय को सामाजिक अस्वीकृति, भेदभाव, हिंसा एवं सामाजिक बहिष्करण इत्यादि से गुजरना पड़ता है। समुदाय को परिवार, स्कूल, कार्य–स्थल एवं समाज के अन्य क्षेत्रों में अस्वीकार किया जाता है, परन्तु यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो परलैंगिक समुदाय की सामाजिक स्थिति में बदलाव की एक नई दिशा दिखाई पड़ती है। समुदाय स्वयं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ तो उठा पा रहे है, परन्तु रोजगार एवं शिक्षा के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहे है। जिससे वे समाज में अपनी समाज में अपनी एक सम्मानजनक पहचान बना सके।

1. **परलैंगिक व्यक्ति**– परलैंगिक वे मनुष्य होते है जिनका लिंग जन्म के समय तय किये गये लिंग से मेल नहीं खाता। इनमें ट्रान्समेन, ट्रान्सविमेन, इन्टरसेक्स और किन्नर भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन लोगों के पास अपना लिंग निर्धारित करने का भी अधिकार होता है। परलैंगिक व्यक्ति को समाज में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

2. **समाज–** समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते है। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती है। समाज लोगों का ऐसा समूह होता है, जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफी कम मेलजोल रखता है।

3. **सामाजिक स्थिति–** सामाजिक स्थिति वह स्थान है, जो समाज में किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है या उसे अन्य लोगों द्वारा दिया जा सकता है अथवा वह अपनी उपलब्धियों के माध्यम से भी अर्जित कर सकता है।

4. **सरकारी योजनाएं–** सरकार ने देश के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है। सरकारी योजनाओं को लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना, डिजाइन या कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरकार समय–समय पर एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ विभिन्न योजनाएं शुरू करती है।

अध्ययन के उद्देश्य– प्राथमिक तौर पर इस अध्ययन का उद्देश्य परलैंगिक समुदाय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। समुदाय की समस्याओं को पूर्ण विश्व के समक्ष लाकर समस्याओं का निवारण करना ही मुख्य उद्देश्य है।

प्रस्तावित अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

1. सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक समस्या का अध्ययन एवं उसके निवारण हेतु पृष्ठभूमि तैयार करना।
2. परलैंगिक समुदाय की सामाजिक स्थिति किस प्रकार व्यवस्थित हो सकती है तथा समाज में समुदाय का उत्थान किस प्रकार किया जा सकता है।
3. क्या परलैंगिक समुदाय सरकारी व गैर–सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे है? एवं अलग से उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए?

सैद्धान्तिक उपागम–

रेड्डी, गायत्री (2005) ने अपनी पुस्तक में दक्षिण भारत के हिजरा समुदाय एवं उनकी पहचान के सन्दर्भ में उल्लेख किया है। अपने साक्षात्कार के माध्यम द्वारा लेखक ने पाया कि दक्षिण भारत में दो प्रकार की हिजरा प्रजाति दिखाई देती हैं, एक जो विवाह समारोह एवं जन्म समारोह में भीख माँगने में शामिल है, दूसरे वो जो व्यवसायिक यौवन कार्यो में शामिल है। उक्त पुस्तक में हिजरा समुदाय की विभिन्न परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया एवं यह स्पष्ट किया गया कि परलैंगिक समुदाय की स्थिति चिन्ता का विषय है।

जैकग्राट एण्ड आल (2012) ने प्रस्तुत शोध पत्रिका में शोध दलों के सदस्यों में तुलनात्मक अध्ययन किया एवं संकलित तथ्यों द्वारा जानने का प्रयास किया कि जेन्डर क्वीर तथा परलैंगिक व्यक्तिओं में भेदभाव का सामना अधिक करना पड़ता है। उक्त अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जिन व्यक्तियों का लिंग निर्धारित होता है वे जेन्डर क्वीर की तुलना में समाज में अधिक भेदभाव, हिंसा एवं सामाजिक कुरीतियों का सामना करते है।

पोला, विनसेजा एण्ड आल (2013) द्वारा प्रस्तुत शोध प्रपत्र कार्यस्थल पर भेदभाव की जाँच करता है। उक्त शोध पत्र में लेखकों ने यह स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर की जाने वाली लिंगभेदी टिप्पणियां एवं भेदभाव एलजीबीटी समुदाय को कार्यस्थल एवं समाज से बहिष्कृत करने हेतु आतुर है। संगठनों में मौजूद मौन की संस्कृति एलजीबीटी कर्मचारियों को चिन्ता मुक्त जीवन व्यतीत करने पर नौकरी करने से रोकती है।

अब्बास एण्ड आल (2014) पुस्तक में जिला चिनियत (पंजाब) क्षेत्र का अध्ययन है। इस अध्ययन में अध्ययनकर्ता ने इस्लाम धर्म के विषम लैंगिक समुदाय की स्थितियों का आकलन किया। जिसमें पाया कि उन्हें धार्मिक रीति–रिवाजों को निभाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनमें 21.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि माता–पिता ने इन्हें मारने की कोशिश की और 41.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ कि माता–पिता कई बार उनका शारीरिक शोषण भी करते है।

स्वामी, एस नन्दजुमदास (2014) ने मैसूर के मेल–टू–फिमेल ट्रान्सेक्सूअल 20 से 40 वर्ष के अन्तर्गत आने वाले आयु वर्ग पर उनके पारिवारिक शोषण तथा शिक्षण संस्थानों में होने वाले शोषण के कारणों व आर्थिक स्थिति से जूझ रहे समुदाय के विषय में अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि परलैंगिक समुदाय को भी उनका हक व संवैधानिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते, जो उन्हें मिलना चाहिये, जिससे वह पारिवारिक सानिध्य एवं मौलिक अधिकारों के साथ जी सकें।

सरकार, सुकान्ता (2015) ने एलजीबीटी राइट्स नामक अपनी पुस्तक में मानवाधिकार के दृष्टिकोण से परलैंगिक समुदाय का विभिन्न देशों में उनके अधिकारों, उनसे जुड़े अपराधों की विवेचना की है। अध्ययन में सकरात्मक पहलू पर प्रकाश डालते हुये विस्तार से तुलनात्मक अध्ययन किया गया। निष्कर्षतः उन्होनें समलैंगिक समाज के मानवाधिकार सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य के तथ्यों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

सी एम, मैक फैडेन (2015) ने प्रस्तुत शोध समलैंगिक, उभयलिंगी कार्यकर्ताओं के जीवनवृत्ति तथा कार्यस्थल के अनुभव एवं रोजगार के मुद्दों के विषय को रेखांकित करता है। मूल अनुसंधान के तहत समलैंगिक तथा उभयलिंगी होने की तस्वीर किसी व्यक्ति या समुदाय के भविष्य एवं आजीविका पर विशेष प्रभाव डालती है। निष्कर्षतः अध्ययन से ज्ञात होता है कि उभयलिंगी या समलैंगिक व्यक्ति होने पर व्यक्ति की आजीविका पर बुरा प्रभाव डालती है एवं उनकी मनोस्थिति पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।

बालू, ए. (2020) ने उक्त शोध विषय पर अध्ययन किया कि कैसे परलैंगिक समुदाय को अपने समूह से समाज जबरन प्रवास के लिये प्रताड़ित करते है। समाज इस समुदाय को अपने समूह से निष्कासित करने हेतु मौखिक, यौन–शोषण, शारीरिक–शोषण जैसी अमानवीय कृत्यों से प्रताड़ित करते है। प्रस्तुत अध्ययन से निष्कर्षतः ज्ञात होता है कि समाज में विषम लैंगिक समुदाय के लिये कल्याणकारी संगठन, सामाजिक, राजनैतिक अधिकारों के विषय में विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।

उपरोक्त साहित्य का पुनरावलोकन व तमाम आकड़ों की ओर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में परलैंगिक समुदाय की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, परन्तु वर्तमान समय में भी समुदाय की स्थिति निम्न बनी हुयी है एवं समाज से इन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव, शोषण एवं उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। अन्य व्यक्तियों की तरह सामान्य होने के बावजूद वे समाज में तिरस्कार एवं बहिष्कार का सामना करते है। अनेकों कानूनी प्रावधानों के पश्चात भी समुदाय की सामाजिक स्थिति वर्तमान समय में भी दयनीय है।

परलैंगिक समुदाय के लिए सरकारी प्रयास–

ट्रांसजेन्डर अधिकार रक्षा विधेयकः– इस विधेयक का निर्माण केन्द्र व राज्य सरकार ने 2016 में परलैंगिक समुदाय के अधिकारो की रक्षा हेतु किया गया। इस विधेयक के लागू होने के पश्चात भारत में सभी परलैंगिक व्यक्तियों को हर प्रकार से समानता का अधिकार मिलेगा एवं साथ–साथ समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जायेगा, जिस प्रकार सामान्य मनुष्यों को देखा जाता है। इस विधेयक से होने वाले लाभ निम्न प्रकार है–

- परलैंगिक व्यक्ति को अपना लिंग बताने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल अपने लिंग श्रेणी में तीसरे लिंग का चुनाव करेगा।

- समुदाय को भीख माँगने पर मजबूर करना, यौन/मौखिक शोषण करना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना इत्यादि जैसे बुरे कृत्य करने पर 02 साल का कारावास दिए जाने का प्रावधान है।
- इस विधेयक में परलैंगिक व्यक्तियों को पहचान–पत्र दिए जायेगें, जिससे सरकारी कार्य ससमय सम्पन्न हो सके।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार इस विधेयक में कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करती है, जैसे– शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाएं।

नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेन्डर पर्सन्स (2020):– इस पोर्टल के माध्यम से परलैंगिक व्यक्ति अपने दस्तावेज अपडेट कर सकते हैं एवं पहचान–पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

नासा योजना (2019):– इस योजना के अन्तर्गत परलैंगिक व्यक्तियों को सम्मान, समानता एवं सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चितता प्रदान की जाती है।

उड़ान योजना (2017):– इस योजना के अन्तर्गत परलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अटल पेन्शन योजना (2016):– इस योजना के अन्तर्गत परलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए पेन्शन सुनिश्चित करती है।

राशनकार्ड योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत परलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों को खाद्यान्न की सब्सिडी एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड प्रदान किया जाता है।

स्माइल योजनाः– भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो विशेष रूप से परलैंगिक व्यक्तियों एवं विशेष वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु शुरू की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य समुदायों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।

निष्कर्ष–

शोध अध्ययन में विस्तृत चर्चाओं से समझा जा सकता है कि बदलते परिदृश्य में परलैंगिक समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है। अधिकार संरक्षण बिल एवं योजनाओं द्वारा परलैंगिक समुदाय के अधिकार सुरक्षित हो रहे है। समुदाय मुख्यधारा से जुड़ रहा है, परन्तु समाज की व्यवस्था से जुड़ने हेतु तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं के आगे आने से समुदाय को जीवन में नये आयाम प्राप्त हुये है। सरकार द्वारा समुदाय को आगे बढ़ाने हेतु बड़े–बड़े कदम बढ़ाये जा चुके है, परन्तु अभी और कदम बढ़ाना बाकी है। जैसे कि मुफ्त शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, बिना ब्याज या कम ब्याज के लोन व रोजगार हेतु प्रशिक्षण देकर समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

सन्दर्भ सूची

- Revathi, A. T. (2010). The truth about me: A hijra life story. Penguin UK.

- Harrison, J., Grant, J., & Herman, J. L. (2012). A gender not listed here: Genderqueers, gender rebels, and otherwise in the National Transgender Discrimination Survey. LGBTQ Public Policy Journal at the Harvard Kennedy School, 2(1),13.

- Priola, V., Lasio, D., De Simone, S., & Serri, F. (2014). The sound of silence. Lesbian, gay, bisexual and transgender discrimination in 'inclusive organizations'. British Journal of Management, 25(3), 488-502.

- Abbas, T., Nawaz, Y., Ali, M., Hussain, N., & Nawaz, R. (2014). Social adjustment of transgender: A study of District Chiniot, Punjab (Pakistan). Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(1), 61-61.

- Nanjundaswamy, S. (2014). An anthropological study of male to female transsexuals in Mysore and Bangalore cities, Karnataka, India. 19

- Sarkar, Sukanta. (2015) Lgbt (lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) Rights: In Human Rights Perspectives.

- McFadden, C. (2015). Lesbian, gay, bisexual, and transgender careers and human resource development: A systematic literature review. Human Resource Development Review, 14(2),125-162.

- Balu, A. (2020). Confront issues on education of transgender in India. Global Journal

E-Resources:
https://www.studysmarter.co.uk
https://www.jstor.org/stable/23558913
https://prsindia.org
https://transgender.dosje.gov.in